

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

30 / 2021
17.03.2021

कमलेश पुत्र रामकरण जाति माली निवासी सोप तहसील उनियारा जिला टोंक राज०

—अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला—टोंक

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध
निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 19.02.2021 मिसल नम्बर 2837 / 2021

उपस्थिति : (1) श्री बाबूलाल गुन्सारिया, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय परोकार

निर्णय

दिनांक 11.07.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 19.02.2021 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2006 रकबा 0.01 है० किस्म बजंड वाके ग्राम सोप तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर मकान बनाकर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 100/रु. पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय परोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलान्ट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट व उसके पूर्वज विगत कई वर्षों से उक्त भूमि पर काबिज है, जिसके पुराना खसरा नम्बर 2007 है, उक्त भूमि आबादी भूमि के पास स्थित है। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट खसरा नम्बर 2006 की पेश की है, उक्त रिपोर्ट बिना सीमाज्ञान के पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने मिसल संख्या 1277 / 2020 निर्णय दिनांक 28.10.2020 में फसल जप्त कर निलाम करने के आदेश दिये गये है, जबकि मौके पर मकान बना हुआ है। अपीलान्ट एवं उसके परिवार के लिये अन्य कोई मकान का स्थान जीवन यापन करने के लिए, रहने के लिए नही है। अपीलान्ट



जिला कलेक्टर
टोंक

भूमिहीन व्यक्ति है। अपीलान्ट के विरुद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमण का कोई साक्ष्य नहीं है, क्योंकि इस भूमि पर वर्षों से मौके पर पक्का मकान बना हुआ है तथा इसके आस-पास पूरी आबादी है, कई लोगों के मकान हैं। पटवारी हल्का के बयान में पूर्व में बेदखली का निर्णय या बेदखली का प्रतिवेदन प्रदर्शित नहीं करवाया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 2006 रकबा 0.01 है 0 किस्म बजंड वाके ग्राम सोप तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर मकान बनाने पर नायब तहसीलदार सोप द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम कर तीन माह की सिविल कारावास की दजा से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है। अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एवं बयान से सिद्ध है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स एवं राजकीय परोकार की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट की स्वयं की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 2006 रकबा 0.01 है 0 किस्म बजंड वाके ग्राम सोप तहसील उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर मकान बनाकर अतिक्रमण किया है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानों से सिद्ध है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं 1277/2020 निर्णय दिनांक 28.10.2020 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहते हैं और राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने के आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप का निर्णय दिनांक 19.02.2021 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र रथगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



चिन्मयी
(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोक